

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



No.30-2(1)/94-Finance

Dated: 22.1.2008

From:

Financial Adviser

To

The heads of all National Labs./Instts.

**Sub.:** Delegation of powers for execution of works

Sir,

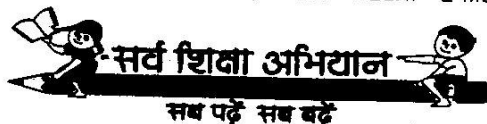
I am directed to invite a reference to this office letter of even number dated 30.9.1994, No.101(1)/98-R&I dated 4.4.2001 and No.11-2(1)/2006-Engg. dated 27.9.2006 and convey approval of the DG, CSIR in the capacity of Chairman of GB, CSIR, subject to ratification of GB, to delegate powers to sanction works for Labs./Instts. including maintenance works as under:-

| S. No | Competent Authority | Existing                             | Revised                                 |
|-------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | Director            | Up to Rs.25.00 lakh                  | Up to Rs.1.00 crore                     |
| 2     | Management Council  | above Rs.25.00 lakh to Rs.50.00 lakh | above Rs.1.00 crore up to Rs.2.50 crore |

It is further clarified that the powers to sanction expenditure in r/o the works costing more than Rs.2.50 crore but less than Rs.15.00 crore shall be exercised by DG, CSIR. The works costing Rs.15.00 crore and above shall be sanctioned by following normal procedure of SFC/EFC/Public Investment Board and approval of the competent authority.

Contd...

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303  
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in



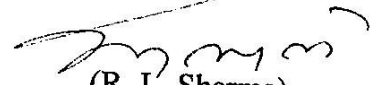
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



- Contd -

After the administrative approval of the work and the expenditure sanction by the competent authority, the Director in the case of the Lab./Instt. and Chief Engineer in the case of CSIR Hqrs. shall be competent to approve the detailed estimates, award of work and Post Award Work Management.

Yours faithfully,

  
(R. L. Sharma)  
Sr. Dy. Financial Adviser

22/1/08

Copy to:-

1. Shri A. Wahid, Scientist for updating CSIR website
2. DS to DG, CSIR
3. PA to FA
4. US to JS(A)
5. COA / AO of all national Labs. / Instts.
6. CFA / F&AO of all national Labs. / Instts
7. Chief Engineer, ESD, CSIR Hqrs
8. Director (EC)
9. Sr. Dy. Secretaries / Dy. Secretaries/USs at CSIR Hqrs./ Complex
10. Sr. Dy. FAs / Dy. FAs/FAOs at CSIR Hqrs. / Complex

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



सं.30-2(1)/94-फाइनेंस

दिनांक: 22.01.2008

प्रेषक:

वित्त सलाहकार

सेवा में,

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रधान

**विषय: निर्माण कार्यों के निष्पादनार्थ शक्तियों का प्रत्यायोजन**

महोदय,

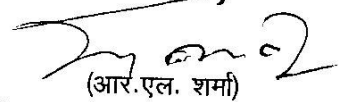
मुझे इस कार्यालय के दिनांक 30.9.1994 के पत्र, दिनांक 04.04.01 के पत्रांक 101(1)/98-आरएण्डआई और दिनांक 27.9.2006 के पत्रांक 11-2(1)/2006-इंजी. का संदर्भ देने और प्रयोगशालाओं/संस्थानों के लिए रख-रखाव कार्यों सहित अन्य कार्यों की संस्वीकृति दिए जाने हेतु निम्नवत रूप से शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए शासी निकाय, सीएसआईआर के अध्यक्ष की हैसियत से महानिदेशक, सीएसआईआर के अनुमोदन, शासी निकाय द्वारा अनुसमर्थन किए जाने पर, को संसूचित करने का निदेश हुआ है:

| क्रम सं. | सक्षम प्राधिकारी | मौजूदा                                        | संशोधित                                         |
|----------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.       | निदेशक           | 25.00 लाख रुपये तक                            | 1.00 करोड़ रुपये तक                             |
| 2.       | प्रबंध परिषद     | 25.00 लाख रुपये से अधिक और 50.00 लाख रुपये तक | 1.00 करोड़ रुपये से अधिक और 2.50 करोड़ रुपये तक |

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि महानिदेशक, सीएसआईआर रुपये 2.50 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 15.00 करोड़ से कम तक की लागत वाले कार्यों के संबंध में व्यय को संस्वीकृति देने की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। रुपये 15.00 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए संस्वीकृति एसएफसी/ईएफसी/सार्वजनिक निवेश बोर्ड की सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत दी जाएगी।

कार्य को प्रशासनिक अनुमोदन दिए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय हेतु संस्वीकृति दिए जाने के बाद प्रयोगशाला/संस्थान के मामले में निदेशक और सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में मुख्य अभियंता विस्तृत प्राक्कलन, कार्य अवार्ड किए जाने और कार्य अवार्ड के बाद प्रबंधन हेतु अनुमोदन दिए जाने के लिए सक्षम होंगे।

भवदीय,

  
(आर.एल. शर्मा)

वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार

प्रतिलिपि:

1. श्री ए. वाहिद, वैज्ञानिक-सीएसआईआर वेबसाइट को अद्यतन करने हेतु।
2. उप सचिव, महानिदेशक, सीएसआईआर कार्यालय
3. वित्त सलाहकार की निजी सहायक
4. अवर सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशा.) कार्यालय
5. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
6. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी
7. मुख्य अभियंता, ईएसडी, सीएसआईआर मुख्यालय
8. निदेशक (ईसी)
9. सीएसआईआर मुख्यालय/कॉम्प्लेक्स के सभी वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
10. सीएसआईआर मुख्यालय/कॉम्प्लेक्स के सभी वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वित्त एवं लेखाधिकारी